



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4198]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 26, 2018/कार्तिक 4, 1940

No. 4198]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 26, 2018/KARTIKA 4, 1940

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2018

का.आ. 5403(अ).—जबकि मेसर्स रिन्यु पाँवर लि. (आर.पी.एल.) जिसका पूर्व नाम रिन्यु पाँवर वेन्चर्स प्रा. लि. (आर.पी.वी.पी.एल.) था, जिसका पंजीकृत कार्यालय 138, अनसल चेंबर्स-II, भिकाजी कामा, नई दिल्ली - 110066 है, ने पारेषण योजना '400 MW विन्ड फार्म योजना, जोडाण पद्धति, मेसर्स रिन्यु पाँवर वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड (आर.पी.वी.पी.एल.) के द्वारा गुजरात कच्छ में,' के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 26/3/PSPA-I/2017/1176-1177 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा पारेषण योजना "400 MW विन्ड फार्म योजना, जोडाण पद्धति, मेसर्स रिन्यु पाँवर वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड (आर.पी.वी.पी.एल.) के द्वारा गुजरात कच्छ में" के लिए मेसर्स आर.पी.वी.पी.एल. को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था:

- (i) आर.पी.वी.पी.एल. स्वीचयार्ड से भचाउ सब स्टेपन में 220 kV डी.सी. लाईन के साथ लाईन बेज दोनों ओर (लाईन बेज का काम आर.पी.वी.पी.एल. करेगी) *

* लाईन बेज भचाउ - जी. आइ. एस. (भचाउ-SS- में जगह के अभाव से)

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “400 MW विन्ड फार्म योजना, जोडाण पध्दति, मेसर्स रिन्वु पाँवर वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड (आर.पी.वी.पी.एल.) के द्वारा गुजरात कच्छ में” के तहत विद्युत लाइनें बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हैं:

- (i) आर.पी.वी.पी.एल. स्वीचयार्ड से भचाउ सब स्टेशन में 220 kV डी.सी. लाईन के साथ लाईन बेज दोनों ओर (लाईन बेज का काम आर.पी.वी.पी.एल. करेगी) *

* लाईन बेज भचाउ - जी. आइ. एस. (भचाउ-SS- में जगह के अभाव से)

स्कीम के अंतर्गत पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

जिला	तहसील	गांव का नाम
कच्छ (भुज)	अंजार	भीमासर, वरसाणा, पसुडा, मोडवदर, अजापर, टपर, खारा पसवारीया, मीठा पसवारीया, सतापर, अंजार, आंबापर, लाखपर, खोखरा, रातातलाव, जरू, सुगारीया, सापेडा, रतनाल, मारिगणा, निंगाल, भाद्रोई, सीनोग्रा, बाडा, हमीरपर, पांतीय, मोटा लोहारीया, नाना लोहारीया, चंदीया, खेडोई, मथडा, भुवड, मखियाणा

मेसर्स रिन्वु पाँवर लि. (पूर्व नाम -रिन्वु पाँवर वेन्चर्स प्रा. लि. (आर.पी.वी.पी.एल.) ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स रिन्वु पाँवर लि. (पूर्व नाम -रिन्वु पाँवर वेन्चर्स प्रा. लि. (आर.पी.वी.पी.एल.), को उपरोक्त पारेषण लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को “400 MW विन्ड फार्म योजना, जोडाण पध्दति, मेसर्स रिन्वु पाँवर वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड (आर.पी.वी.पी.एल.) के द्वारा गुजरात कच्छ में” पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 26.05.2018 से 01.06.2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्येधीन है।
- (vii) मेसर्स आर.पी.एल. को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. सीईए-पीएस-11-23(21)/1/2018-पीएसपीए-1 डिवीजन]

पी.सी. कुरील, सचिव, के.वि.प्रा.

MINISTRY OF POWER
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 26th October, 2018

S.O. 5403(E).—whereas M/s.ReNew Power Limited (RPL), the applicant with its registered office at 138, Ansal Chambers-II, Bhikaji Cama place, Delhi – 110066, erstwhile known as ReNew Power Venture Private Limited (RPVPL) has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity System for ReNew Power Ventures Private Limited for its 400 MW wind farms in Kutch, Gujarat”.

And whereas CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.26/3/PSPA-I/2017/1176-1177 dated 25.10.2017 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s ReNew Power Ventures Private Limited for the transmission scheme “Connectivity System for ReNew Power Ventures Private Limited for its 400 MW wind farms in Kutch, Gujarat” with following scope of work:

- (i) ReNew Power Ventures Private Limited (RPVPL) switchyard –Bhachau S/s 220 kV D/c line along with associated line bays at both ends (line bays to be constructed by RPVPL) *
- * Line bays at Bhachau end to be implemented as GIS (on account of space constraints at Bhachau S/s)

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity System for ReNew Power Ventures Private Limited for its 400 MW wind farms in Kutch, Gujarat” with the following scope of work:

- (i) ReNew Power Ventures Private Limited (RPVPL) switchyard –Bhachau S/s 220 kV D/c line along with associated line bays at both ends (line bays to be constructed by RPVPL) *
- * Line bays at Bhachau end to be implemented as GIS (on account of space constraints at Bhachau S/s)

The Transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

District	Tehsil	Name of Village
Kutch (Bhuj)	Anjar	Bhimasar, Varsana, Pashuda, Modvadar, Ajapar, Tapar, Khara Pasavariya, Mitha Pasavariya, Satapar, Anjar, Ambapar, Lakhapar, Khokhra, Ratatalav, Jaru, Sugariya, Sapeda, Ratnal, Maringna, Ningal, Bhadroi, Shinugra, Vada, Hamirpar, Pantia, Mota Loharia, Nana Loharia, Chandia, Khedoi, Mathda, Bhuvad, Makhiyana.

M/s ReNew Power Limited had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ReNew Power Limited (RPL), erstwhile known as ReNew Power Venture Private Limited (RPVPL) for laying above transmission lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Connectivity System for ReNew Power Ventures Private Limited for its 400 MW wind farms in Kutch, Gujarat". The details of the works are published in the Gazette of India dated 26th May – 01st June, 2018.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s RPL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F.No. CEA-PS-11-23(21)/1/2018-PSPA-I Division]
P.C. KUREEL, Secy., CEA